भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2703
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के तहत बारहमासी सड़कें

2703. श्री अजय भट्टः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत उत्तराखंड के जिलावार सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में अभी तक बारहमासी सड़कों से जुडने वाले गांवों का ब्यौरा और संख्या क्या है;

(घ) उक्त गांवों के इससे कब तक जुडने की संभावना है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई- I) का उद्देश्य राजस्व ग्रामों या पंचायतों को नहीं, बल्कि पात्र संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करना है। यह योजना जनसंख्या मानदंडों और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर , संपर्क के लिए एक बसावट (जनसंख्या का एक समूह) को मूल इकाई मानती है।

उत्तराखंड राज्य में , 250+ जनसंख्या वर्ग के लिए पात्रता मानदंडों के अनुसार , कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक पीएमजीएसवाई- I के अंतर्गत कुल 1,864 बसावटों को बारहमासी संपर्क सुविधा प्रदान की गई है , जिनमें से दिनांक 31 जुलाई, 2025 तक 1,860 बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क सुविधा प्रदान की जा चुकी है। पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत सभी पात्र बसावटों को संपर्क सुविधा प्रदान करने की समय-सीमा मार्च 2025 थी।

सरकार ने हाल ही में पीएमजीएसवाई के चरण IV को अनुमोदन प्रदान किया है ताकि 2011 की जनगणना के अनुसार 25,000 संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी संपर्कता प्रदान की जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीएमजीएसवाई- IV के लिए बसावटों की प्रारंभिक पहचान हेतु एक विशिष्ट उद्देश्य हेतु विकसित एक विशेष भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) एप्लिकेशन, अर्थात "ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप" का उपयोग करके एक नया सर्वेक्षण किया गया। मंत्रालय को पीएमजीएसवाई-IV बैच 1, 2025-26 के अंतर्गत 583 किलोमीटर लंबाई के 90 सड़क कार्यों की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों का पालन करने के बाद राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृति के प्रस्ताव व्यवहार्य बैचों में प्रस्तुत किए जाते हैं। पीएमजीएसवाई IV की समय-सीमा मार्च 2029 तक है।

उत्तराखंड में 250+ जनसंख्या श्रेणी के अंतर्गत स्वीकृत , संपर्कता प्राप्त और शेष बसावटों का जिलावार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं 2703 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 जुलाई, 2025 तक उत्तराखंड राज्य में स्वीकृत, संपर्कता प्राप्त और शेष बसावटें का ब्यौरा

क्र. सं.	जिलों का नाम	कुल स्वीकृत बसावटें	कुल संपर्कता प्राप्त बसावटें	शेष बसावटें
		पात्र 250+	पात्र 250+	पात्र 250+
1	अल्मोडा	272	271	1
2	बागेश्वर	129	129	0
3	चमोली	214	214	0
4	चम्पावत	99	99	0
5	देहरादून	96	96	0
6	हरिद्वार	19	19	0
7	नैनीताल	112	112	0
8	पौडी	205	205	0
9	पिथोरागढ़	167	165	2
10	रुद्रप्रयाग	136	136	0
11	टिहरी	264	264	0
12	उधम सिंह नगर	28	28	0
13	उत्तरकाशी	123	122	1
कुल		**1864**	**1860**	**4**

****